रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73 REGISTERED No. D. (D.N.)—73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 12, 1982/ज्येष्ठ 22, 1904
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 12, 1982/JYAISTHA 22, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 4
## PART II—Section 4

### रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
### Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

**रक्षा मंत्रालय**

नई दिल्ली, 15 मई, 1982

**का नि० आ०** 137.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (भण्डारी) भर्ती नियम, 1977 को उन बातों के सिवाए, अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया है रक्षा मंत्रालय के सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग में भण्डारी श्रेणी-2 के समूह "ग" पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (समूह "ग") (अराजपत्रित, अनिपिकवर्गीय) भण्डारी श्रेणी-2 भर्ती नियम, 1982 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन तारीख की को प्रवृत्त होंगे ।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान .—उक्त पद/की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताए आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हताए वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नही होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहा केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहा वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का व्यक्तियों के लिए फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं । | सीधे भर्ती किए जाने वाले शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6क | 7 |
| मण्डारी श्रेणी 2 | 1* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनिपिकवर्गीय | 260-6-290-द० रो० 6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु० | लागू नहीं होता | 18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक कर्मचारी चयन आयोग से अभ्यर्थियों के नाम भेजने को कहा गया है । | लागू नहीं होता | आवश्यक : 1 मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. भण्डारी के रूप में एक वर्ष का अनुभव । टिप्पण :— 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं), जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा । | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | स्थानान्तरण नियमित रूप से नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी जिन्होंने समस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों में 3 वर्ष सेवा की है और जो स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं । | (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि के लिए) समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी—अध्यक्ष 2. अवर सचिव प्रशासनिक रूप से संबद्ध रक्षा मंत्रालय—सदस्य 3. उप निदेशक, समस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग—सदस्य | लागू नहीं होता |

[फा. सं० ए/02651/सी ए ओ/आर-II]

दुनी चंद, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th May, 1982

**S.R.O. 137.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Armed Forces Film and Photo Division (Storekeeper) Recruitment Rules, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' post of Storekeeper Grade II in the Armed Forces Film and Photo Division Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Armed Forces Film and Photo Division (Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial) Store keeper Grade II, Recruitment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazete.

2. Number of the post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted, shall be eligible for appointment to the said post .

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of Post | Number of posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection post or Non-selection post | Age limit for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972 | Education and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (4) | (5) | (6) | (a) | (7) |
| Store Keeper Grade II. | 1* *Note : Subject to variation depending on work load. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400. | Not applicable | Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years) Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Staff Selection Commission are asked to nominate the candidates. | Not applicable. | Essential: 1. Matriculation or equivalent. 2. One year's experience as Storekeeper. Note:—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competant Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable. | Two years. | By transfer failing which by direct recruitment. | Transfer: Regularly appointed Group 'D' employees with 3 years' service of AFHQ & IS Organisations possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column 7. | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation of direct recruits) consisting of:— 1. Deputy Chief Administrative Officer—Chairman 2. Under Secretary, Administratively concerned, Ministry of Defence —Member 3. Deputy Director, AFFPD —Member. | Not applicable |

[F. No.A/02651/CAO/R-II]

DULI CHANDRA, Deputy Chief Administrative Office

नई दिल्ली, 28 मई, 1982

**का०नि०आ० 138**—यत: राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 (1948 का 31वां) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (i) के अनुसरण मे राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति में राज्य सभा द्वारा 16 सितम्बर 1981 से एक साल की अवधि के लिय चुने गये राज्य सभा सदस्य श्री जी० आर० म्हैसेकर, राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण 2 अप्रैल, 1982 से राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य नहीं रहे।

2 और, यत:, राज्य सभा ने राज्य सभा सदस्य श्री धुलेश्वर मीणा को 5 मई 1982 से एक साल की अवधि के लिये राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य चुन लिया है।

3 अब इसलिये, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में दी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार उक्त सदस्य को उपर्युक्त अवधि के लिये राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करती है।

[सं० 11(17)/81/डी० (जी०एस० 6)]
एस० पी० चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 28th May, 1982

**S.R.O. 138.**—Whereas in pursuance of Clause (i) of sub-Section (1) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948, (XXXI of 1948) (hereinafter referred to as the said Act), Shri G.R. Mhaisekar, Member of the Council of States (Rajya Sabha), who was elected by the Council of States (Rajya Sabha), to be a Member of the Central Advisory Committee for the NCC for a period of one year with effect from 16th September, 1981 has ceased Membership of the Central Advisory Committee of the NCC consequent on his retirement as a Member of the Rajya Sabha with effect from 2nd April, 1982.

2. And whereas, Shri Dhuleshwar Meena, Member of the Council of States (Rajya Sabha) has been elected by the Council of States (Rajya Sabha) to be a Member of the Central Advisory Committee for the NCC for a period of one year with effect from the 5th May, 1982.

3. Now, therefore, in exercise of the powers, conferred by sub-Section (1) of Section 12 of the said Act, the Central Government hereby appoints the aforesaid Member of Parliament as Member of the Central Advisory Committee for the NCC for the period mentioned above.

[No. 11(17)|81|D(GS. VI)]
S. P. CHAUDHERY, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1982

**का०नि०आ० 139**—केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

1 (1) इन विनियमों संक्षिप्त नाम नौसेना (पेंशन) संशोधन विनियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 मे (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) —

(1) विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :—

"8. पेंशन रोकी जा सकेगी, निलंबित की जा सकेगी या बन्द की जा सकेगी या पत्नी अथवा अन्य आश्रित को संदत्त की जा सकेगी।

(क) सक्षम प्राधिकारी इसमें नीचे विनिर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों में किसी व्यष्टि को मंजूर की जाने वाली या मंजूर की गई है संपूर्ण पेंशन (जिसके अन्तर्गत उसका वह संराशित मूल्य भी है जो संदत्त नहीं किया गया है) बालक भत्ता या उपदान (जिसके अन्तर्गत मृत्यु और सेवा-निवृत्ति उपदान भी है) रोक सकेगा, निलंबित कर सकेगा या बन्द कर सकेगा, अपवादिक मामलों में, इस प्रकार रोकी गई या निलंबित की गई संपूर्ण पेंशन भत्तों या उपदान या उसके किसी भाग का संदाय, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, पेंशन भोगी की पत्नी या उसके किसी अन्य आश्रित (आश्रितों) को किया जा सकेगा।

(ख) इस विनियम का निम्नलिखित परिस्थितियों में अवलंब लिया जा सकता है :—

(1) समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अध्याय 6 में यथासूचीबद्ध राज्य के विरुद्ध अपराध;

(2) भारती दंड संहिता 1860 (1860 का 45) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) या देश की किसी अन्य विशेष विधि के अधीन किसी अन्य घोर अपराध और गंभीर अचार;

(3) उन मामलों में जहां किसी भी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में, पेंशन भोगी व्यष्टि, अपनी सेवाविधि के दौरान, जिसके अन्तर्गत सेवा निवृत्ति सेवोन्मुक्ति के पश्चात पुन नियोजन पर की गई सेवा भी है, किये गये अवचार या उपेक्षा के लिये दोषी पाया जाता है जिससे कोई हानि हुई है वहां सरकार को हुई ऐसी संपूर्ण धनीय हानि उसके किसी भाग को वसूल करना;

(4) सरकार द्वारा दिये गये किसी आवासिक वास स्थान, जिसके अन्तर्गत किराये पर लिया गया वास स्थान भी है, को अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में बनाये रखना ;

(5) जहां पेंशन मंजूर किये जाने के पश्चात कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती है कि व्यष्टि के विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही (सेवा या पुन. नियोजन की अवधि के दौरान किये गये किसी अपराध के लिये) चल रही है ;

(6) जब कोई व्यष्टि समय समय पर यथाविहित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सेवानिवृत्ति के पश्चात पुन नियोजन अभिप्राप्त करता है, और

(7) किन्हीं अन्य परिस्थितियों में जिन्हें राष्ट्रपति विशेष समझें,

(ग) इस विनियम के उपबन्धों को लागू करने मे, उन विनियमो के भाग 2 के अध्याय 4क में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

स्पष्टीकरण —(1) इस विनियम में यथाप्रयुक्त पेंशन शब्द से, यथास्थिति सेवा निःशक्तता या कुटुम्ब पेंशन अभिप्रेत है।'

(2) विनियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात —

"17—ऐसे अधिकारियों द्वारा जिन्हें पेंशन, उपदान या अन्य फायदा मंजूर किया गया है, नियोजन स्वीकार किया जाना;

(क) सेवा निवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक नियोजन

यदि कोई आफिसर जो सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व, अधिष्ठायी हैसियत में या अन्यथा, कैप्टन और उसके ऊपर के रेंक के या और जिसे नौसेना मे उसकी सेवा की बाबत पेंशन/उपदान (जिसके अन्तर्गत मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान भी है) या अन्य फायदे मंजूर किये जाते हैं या उनके मंजूर किये जाने की संभावना है, अपने अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी वाणिज्यिक नियोजन को स्वीकार करना चाहता है, वहां वह ऐसी स्वीकृति के लिये सरकार की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त करेगा/करेगी और उसकी यदि वह बिना ऐसी मंजूरी के वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करता/करती है तो ऐसी अवधि के लिये जिसके दौरान इस प्रकार नियोजित किया जाता है या ऐसी दीर्घ अवधि के लिये जो सरकार निदेश दे कोई भी पेंशन संदेय नहीं होगी .

परन्तु यह कि ऐसे किसी अधिकारी के लिये जिसे अपनी सेवा-निवृत्ति के पूर्व छुट्टी की अवधि के दौरान या अस्वीकृत छुट्टी के दौरान किसी विशिष्ट वाणिज्यिक नियोजन के लिये सरकार द्वारा अनुज्ञा दो गई थी, थी, अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसे नियोजन में बने रहने के लिये पश्चातवर्ती अनुज्ञा अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा ।

टिप्पण .—1. "वाणिज्यिक नियोजन" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है .—

(क) किसी कंपनी सहकारी सोसाइटी फर्म या व्यष्टि के जो व्यापार, वाणिज्य औद्योगिक, वित्तीय या वृत्तिक कारबार में लगा है, अधीन किसी भी हैसियत से नियोजन जिसके अन्तर्गत उसका अभिकर्ता भी है और इसके अन्तर्गत ऐसी कंपनी का निदेशक पद और ऐसी फर्म की भागीदारी भी है, किन्तु सरकार के पूर्णत या भारत. स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय के अधीन नियोजन इसके अन्तर्गत नहीं है ।

(ख) ऐसा व्यवसाय या तो स्वतन्त्र रूप से उन मामलों की बाबत, सलाहकार या परामर्शी के रूप में किसी फर्म के भागीदार के रूप में स्थापित करना, जिनकी बाबत

(i) पेंशन भोगी की वृत्तिक अर्हताएं नहीं हैं, और ऐसे मामले जिनकी बाबत व्यवसाय स्थापित किया जाना है या चलाया जाता है उसके पदीय ज्ञान और अनुभव से संबंधित है, या

(ii) पेंशन भोगी की वृत्तिक अर्हता तो है, किन्तु वे मामले जिनकी बाबत ऐसा व्यवसाय स्थापित किया जाना है ऐसे है कि उसके मुवक्किलों को पेंशन भोगी की पूर्ववर्ती शासकीय स्थिति के परिणामस्वरूप, नाजायज फायदा मिलने की संभावना है, या

(ग) वह नियोजन जहां पेंशन भोगी को ऐसा कार्य हाथ में लेना है जिसमें सरकारी कार्यालयों या सरकारी अधिकारियों के साथ संबंध या संपर्क अन्तर्वलित है;

टिप्पण 2—"किसी सहकारी सोसायटी के अधीन नियोजन" पद के अन्तर्गत ऐसी सोसायटी में कोई पद धारण करना है जो चाहे निर्वाचन द्वारा हो या अन्यथा जैसे कि ऐसी सोसायटी के सभापति, अध्यक्ष, प्रबन्धक, सचिव रोकड़िया और वैसे ही अन्य पद चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो,

टिप्पण 3—सेवा निवृत्ति के पश्चात पुनः नियोजित किसी अधिकारी के संबंध में "सेवा निवृत्ति की तारीख" पद चाहे वह सशस्त्र बलों में, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय कैडिट कोर भी है, उसी या किसी अन्य समतुल्य पद में हो, वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को सरकारी सेवक अन्तिम रूप से रक्षा सेवाओं में इस प्रकार पुनः नियोजित नहीं रह जाता है ।

(ख) अपने अनुरोध पर समय पूर्व सेवा निवृत्ति के लिए अनुज्ञात अधिकारियों का नियोजन-कैप्टन या उससे ऊपर के रैंक का कोई आफिसर जिसे उसके अपने अनुरोध पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञा की गई है, नौसेना सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर, या सरकार कर स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय के अधीन किसी पद पर नियोजन स्वीकार करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा । यदि आफिसर अपने रैंक के लिए विहित मानक सेवा को पूरा करके सामान्य अनुक्रम में नौसेना सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था और यदि वह रुग्णता या शारीरिक नियोग्यता के आधार पर नौसेना सेवा से अशक्त हो गया था तो ऐसी अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी ।

ऐसी अनुज्ञा उन मामलों में भी आवश्यक नहीं होगी जहां आफिसरों को व्यक्तिगत कारणों से सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख से कुछ दिनों पहले जो एक मास से अधिक नहीं होगी सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है ।

(iii) विनियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

17-क-भारत से बाहर किसी सरकार के अधीन सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन कोई कमीशंड आफिसर जो भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन कोई नियोजन स्वीकार करना चाहता है, वह ऐसी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगा। किसी ऐसे पेंशनभोगी को किसी ऐसी अवधि की बाबत जो राष्ट्रपति निदेश दे कोई पेंशन संदेय नहीं होगी, यदि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई नियोजन स्वीकार करता है, जहां उपदान देय है किन्तु पहले संदत्त नहीं किया गया है वहां वह भी भागतः या पूर्णतः जो राष्ट्रपति स्वविवेकानुसार विनिश्चय करे समपहरणीय होगा ;

परन्तु यह कि किसी ऐसे आफिसर के लिए जिसे अपनी सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन किसी विशिष्ट प्रकार का नियोजन स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञा दी गई थी, सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे नियोजन में बने रहने के लिए पश्चात्वर्ती अनुज्ञा प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण —इस विनियम के प्रयोजन के लिए

"भारत से बाहर किसी सरकार के अधीन नियोजन" पद के अन्तर्गत किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या कोई अन्य संस्था या कोई ऐसा संगठन जो भारत के बाहर किसी सरकार के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है" या ऐसा कोई संगठन जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है" के अधीन नियोजन है । इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि किसी आफिसर को उसे, तारीख से जिसको वह नौसेना सेवा में नहीं रह जाता है कम से कम तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी विदेशी मिशन भारत के अधीन नियोजन स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।"

(iv) विनियम 75,195,196 और 197 का लोप किया जाएगा।

(v) भाग II के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अध्याय 4-क

पेंशन के निलंबन, बंद करने या रोकने की बाबत प्रक्रिया ·

"200-ख-किसी ऐसे पेंशनभोगी को पेंशन का निलंबन उसे बंद करना या रोकना जो किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है या गंभीर अवचार के लिए जो राजनैतिक प्रकृति का नहीं है, दोषी है, यदि कोई पेंशन भोगी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है या गंभीर अवचार के लिए, जो राजनैतिक प्रकृति का नहीं है दोषी है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :—

(क) यदि किसी पेंशनभोगी को किसी दांडिक अपराध के लिए कारावास से दंडित किया जाता है तो उसकी पेंशन उसके कारावास की तारीख से निलंबित कर दी जाएगी और मामले को, नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) इलाहाबाद द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के लिए रिपोर्ट की जाएगी किसी मामले में जहां किसी पेंशन भोगी को किसी विचाराधीन बंदी के रूप में पुलिस या जेल अभिरक्षा में रखा जाता है और अंततः किसी दांडिक अपराध के लिए किसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाता है वहां पेंशन का निलंबन केवल कारावास की तारीख से प्रभावी होगा ।

(ख) सक्षम प्राधिकारी नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) के और यदि आवश्यक हो तो सिविल प्राधिकारियों के परामर्श से भी वह विनिश्चय करेगा कि क्या अपराध गंभीर है और यदि है तो वह पेंशन भोगी के कारावास की प्रारंभ की तारीख से उसका नाम पेंशन सूची से हटाने का आदेश देगा। उस तारीख से पेंशन संदेय नहीं रह जाएगी ।

(ग) यदि सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चय करता है कि अपराध इतना गंभीर नहीं है जिससे कि पेंशनभोगी का नाम पेंशन सूची से हटाना न्यायोचित ठहराया जा सके तो उसका नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा; कारावास से पूर्व अंतिम संदाय की तारीख से शोध्य पेंशन की बकाया उसकी जेल से उन्मुक्ति पर संदत्त की जाएगी ।

(घ) यदि किसी पेंशन भोगी को किसी निचले न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए कारावास से दंडित किया जाता है किन्तु उच्चतर न्यायालय द्वारा अपील कर दोषमुक्त कर दिया जाता है तो रोकी गई पेंशन प्रत्यावर्तित कर दी जाएगी ।

(ङ) यदि किसी पेंशन भोगी को ऋण के लिए कारावास दिया जाता है तो पेंशन का संदाय जारी रहेगा ।

(च) यदि कोई पेंशनभोगी ऐसे गंभीर अपचार का दोषी है जो पूर्ववर्ती खंडों के अधीन नहीं आता है तो इसकी सक्षम प्राधिकारी को तत्काल रिपोर्ट की जाएगी, जो यदि वह इसे न्यायोचित समझता है तो उस तारीख से जो विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी पेंशन के निलंबन का आदेश कर सकेगा सक्षम प्राधिकारी नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) के और यदि आवश्यक हो तो सिविल प्राधिकारियों के परामर्श से मामले की पश्चातवर्ती जांच करेगा, और

(i) पेंशन का, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाली तारीख से जो प्रारंभिक निलंबन की तारीख से पूर्व नहीं होगी संपूर्ण या भागतः रोके जाने को प्राधिकृत करेगा, या

(ii) पूरी पेंशन के संदाय को जारी रखने को प्राधिकृत करेगा ।

(छ) यदि कोई पेंशन भोगी किसी विदेशी न्यायालय (जिसके अन्तर्गत नेपाल भी है) द्वारा दोषी पाया जाता है या भारत से बाहर उसे किसी गंभीर अपराध के लिए जो राजनैतिक प्रकृति का नहीं है किसी जेल कारावासित किया जाता है तो मामला नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) को मार्फत पेंशन में कमी उसके समपहरण या प्रत्यावर्तन के प्रश्न पर विनिश्चय करने के लिए भारत सरकार को निर्देशित किया जाएगा । उपर्युक्त खण्ड (क) इन मामलों में भी लागू होगा ।

(ज) जहां कोई व्यष्टि/पेंशन भोगी किसी न्यायालय द्वारा गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां न्यायालय के निर्णय और इस अध्याय के अन्य उपबंधों के प्रकाशन में उपदान और पेंशन को तो उसके किसी भाग को रोकने की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी ।

200-ग- किसी ऐसे पेंशनभोगी की पेंशन का जो भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है या राजनैतिक प्रकृति के किसी अपचार का दोषी है निलंबन, बंद किया जाना या रोका जाना - यदि कोई पेंशनभोगी भारत में किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है राजनैतिक प्रकृति के किसी अपचार का दोषी है तो उसके मामले की नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन) द्वारा सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट की जाएगी, जो पेंशनसंबंधी राज्य सरकार या, प्रशासन की सिफारिश पर उसकी पेंशन का (सेवा और अंशदायी पेंशन, केवल व्यष्टि पुरस्कार द्वारा ली जा रही है कुटुम्ब पेंशन और बालक भत्ता) ऐसी तारीख से, जो विनिर्दिष्ट की जाएगी रोकने का आदेश कर सकेगा । उन मामलों में जहां पेंशन भोगी को कारावास का दंडित किया जाता है उसकी पेंशन सक्षम प्राधिकारी के आदेश से निलंबित रहने तक उसकी कारावास की तारीख से निलंबित कर दी जाएगी ।

यदि किसी पेंशन भोगी को किसी विदेशी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है या भारत से बाहर किसी राजनैतिक प्रकृति के अपराध के लिए किसी मित्र देश द्वारा जेल में कारावासित किया जाता है तो उसके मामले को पेंशन में कमी उसके समपहरण या प्रत्यावर्तन के लिए और साथ ही कारावास की अवधि के लिए पेंशन का संदाय करने के प्रश्न को संबद्ध विदेशी सरकार के परामर्श से उस देश में भारतीय उच्च आयुक्त या राजदूत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा ।

200-घ- रोकी गई पेंशन का प्रत्यावर्तन पूर्णतः या भागतः रोकी गई पेंशन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजनैतिक मामलों में संबद्ध राज्य सरकार या प्रशासन और अन्य मामलों में यदि आवश्यक हो नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) सिविल प्राधिकारियों के परामर्श से संपूर्ण या भागतः प्रत्यावर्तित कर दी जाएगी । कारावास भोग रहे पेंशनभोगी की दशा में उसकी उन्मुक्ति के पश्चात् उसके द्वारा आवेदन करने पर ही इन विनियम के अधीन कार्रवाई की जाएगी किन्तु किसी गंभीर अपराध के लिए जेल में कारावास की अवधि के लिए किसी भी दशा में मंजूर नहीं की जाएगी ।

200-ङ- पेंशनभोगी की पेंशन का नियंत्रण बन्द किया जाना या रोका जाना –

(1) इन विनियमों के अधीन पेंशन (जिसमें उसका संराशित मूल्य भी है जो संदत्त नहीं किया गया है ) पूर्णतः या भागतः बालक भत्ता या उपदान जिसके अन्तर्गत मृत्यु और सेवानिवृत्त उपदान भी है ) नियंत्रण करने, बंद करने या रोकने के आदेश जारी करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी व्यष्टिक पेंशन भोगी पर प्रस्थापित कार्रवाई विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना तामील करेगा और उसके द्वारा सूचना प्राप्त होने के तीस दिन (या ऐसी अवधि जो तीस दिन से अधिक न हो जो सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञात करे ) के भीतर ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा जिसे वह प्रस्थापना के विरुद्ध देना चाहे ।

(2) सक्षम प्राधिकारी किसी अभ्यावेदन पर यदि पेंशनभोगियों द्वारा उपविनियम (1) के अधीन दिया गया हो, विचार करने के पश्चात् विनिश्चय करेगा और पेंशन बालक भत्ता और उपदान पूर्णतः या भागतः निलंबित करने, बंद करने और रोकने का लिखित आदेश यह उपदर्शित करते हुए जारी करेगा कि क्या यह आदेश पेंशन और बालक भत्ते की दशा में स्थाई रूप से या के विनिर्दिष्ट अवधि, के लिए लागू होंगे ।

(3) विनियम 8 के अधीन आने वाले मामलों में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील, अपील प्राधिकारियों को की जा सकेगी । कमीशंड आफिसरों के मामले में राष्ट्रपति अपील प्राधिकारी होगा। नाविकों के मामलों में अपील, नौसेना कमान के फ्लैग आफिसर कमांडिंग -इन-चीफ या संबद्ध नौसेना क्षेत्र के फ्लैग आफिसर कमांडिंग को होगी । अपील कैप्टन, नाविक ब्यूरो, मुम्बई की मार्फत की जाएगी ।

(4) आफिसर के रैंक के नीचे के कार्मिकों के मामले में सक्षम प्राधिकारी / अपील प्राधिकारी, अंतिम आदेश पारित करने समय नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) से परामर्श करेगा । इन प्राधिकारियों और नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) की राय में मतभेद होने की दशा में, मामला भारत सरकार के आदेश के लिए निर्देशित किया जाएगा ।"

(vi)" परिशिष्ट 1 में, "नाविक" शीर्षक के नीचे, मद 21 से 23 के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :–

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 200 ख | नाविक और उनके परिवार | कैप्टिन नाविक ब्यूरो | |
| 22 | 200ग | यथोक्त | यथोक्त | |
| 23 | 200घ | यथोक्त | यथोक्त | |
| 23क | 200ङ० | नाविक | | |
| | | (क) धारा 5क के अन्तर्गत आने वाले मामले,- | नौसेना अध्यक्ष | |
| | | (i) एम सी पी ओ 1 और (1 के मामले में) जिसके अन्तर्गत वे | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | भां है जिन्हे प्रभावी सूची के होते हुए आई सी ओ के रूप में प्रवैतनिक कमीशन मंजूर किया गया है । ) | | |
| | | (ii) सी पी ओ, पी ओ, एम एस, सी 1 और II के मामले में | पोत/स्थापन का कमान आफिसर परन्तु यह तब जबकि वह कमांडर के रैंक से नीचे का नहीं है । | |
| | | (iii) अन्य मामले में, | कैप्टन, नाविक ब्यूरो नम्बई | |
| | | ख. विनियम 8 के अन्तर्गत आने वाले मामले में | कैप्टन, नाविक ब्यूरो मम्बई । | |

]एच क्यु फाईल सं० पी एन 2244 के एम आफ एफ (डी) यू ओ 1218/पेन/1980]

एम० एस० दास, उपसचिव (पेंशन)

New Delhi, the 31st May, 1982

**S.R.O. 139.**—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act 1957, (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations to amend tho Navy (Pension) Regulations 1964, namely.—

1. (1) These regulations may be called the Navy (Pension) Amendment Regulations 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazettce.

2. In the Navy (Pension) Regulations 1964 (hereinafter referred to as the said Regulations.—

(i) for regulation 8 the following shall be substituted.

"8. Pension may be withheld, suspended on discontinued or paid to wife or other dependent.—(a) In special circumstances specified hereunder, the competent authority may withhold, suspend or discontinue in full or in part the pension (including commuted value thereof which has not been paid), children's allowance or gratuity (including Death-cum-Retirement Gratuity), to be granted or granted to an individual. In exceptional cases, payment of part or whole of the pension, allowance or gratuity withheld or suspended may, by order of the President, be made to the wife or other dependent(s) of the pensioner.

(b) This regulation may be invoked under the following circumstances.—

(i) offences against the State as listed in Chapter VI of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860), as amended from time to time;

(ii) other serious crimes under the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860) Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) or any other special Law of the land and grave misconduct;

(iii) to recover the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government in cases where in any departmental or judicial proceedings, the pensioner/individual is found guilty of misconduct or negligence committed during the period of re-employment after retirement/discharge, leading to the said loss;

(iv) unauthorisedly continuing to occupy the residential accommodation including hired one provided by the Government;

(v) when a report is received, after sanctioning the pension, that departmental or judicial proceedings (for the offences committed while in service or during the period of re-employment) are in progress against the individual;

(vi) when an individual obtains re-employment after retirement without obtaining prior permission of the competent authority as prescriber from time to time; and

(vii) any other circumstances considered a special by the President.

(c) In applying the provisions of this Regulation the procedure laid down in Chapter IV-A of Part II of these regulations shall be followed.

Explanation—The word pension as used in the regulation means service, disability, invalid or family pension, as the case may be."

(i) for regulation 17 the following shall be substituted, namely:—

"17. Acceptance of employment by officers who are granted pension, gratuity or other benefit-

(a) Commercial employment after retirement.—if an officer who held the rank of Captain and above, whether in substantive capacity or otherwise immediately before retirement and who is granted or is likely to be granted a pension|gratuity (including Death-cum-Retirement Gratuity) or other benefits in respect of his|her service in the Navy wishes to accept any commercial employment before the expiry of two years from the date of his|her retirement he|she shall obtain the prior sanction of the Government to such acceptance and no pension shall be payable to him|her if he|she accepts a commercial employment without such sanction in respect of any period for which he|she is so employed or for such longer period as the Government may direct.

Provided that, such an officer who was permitted by tho Government to take up a particular commercial employment during his|her preparatory to retirement or during refused leave shall not be required to obtain subsequent permission for his|her continuance in such employment after retirement.

Note 1 The expression "commercial employment" means,

(a) An employment in any capacity including that of an agent under a company, cooperative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a director-ship of such company and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Government.

(b) Setting up practice, either independently or as a partner of a firm as adviser or as consultant in matters in respect of which the pensioner.

(i) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(ii) has professional qualification but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or

(c) employment, where the pensioner has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the Gvernment.

Note 2. The expression "employment under a Co-operative Society" includes the holding of any office, whether elective or other-wise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer-and the like, by whatever name called, in such Society.

Note 3. The expression "date of retirement" in relation to an officer re-employed after retirement either in the same or in any other equivalent post in the Armed Forces including National Cadet Corps means the date on which the Government servant finally ceases to be so re-employed in the Defence Services.

(b) Employment of officers allowed to retire prematurely at their own request.—An officer of the rank of Captain and above allowed to retire prematurely at his|her own request shall obtain the permission of the President before accepting employment, in a civil post under the Central or State Government or an Union Territory Administration|Government, or in a post under a Body corporate owned or controlled by the Government before the expiry of two years from the date his|her retirement from the Naval service. Such permission will not, however, be required if the officer had retired from Naval service in the normal course on completion of the standard service prescribed for his|her rank and if he| she had been invalided from Naval Service on grounds of ill health or physical disability.

Such permission will also not be necessary in cases where due to personal reasons the officers proceeding on normal retirement are allowed to retire a few days earlier (not exceeding one month) than the due date;"

(iii) After regulation 17 the following new regulation shall be inserted, namely :—

"17-A. Employment after retirement under a Government outside India.—A commissioned officer who wishes to accept any employment under any Government outside India, shall obtain the prior permission of the Presidont for such acceptance. No pension shall be payable to a pensioner who accepts such an employment without prior permission in respect of any period as the President may direct. Gratuity where due, but not already paid, shall also be liable to be forfeited in part or in full as the President may at his discretion decide :

Providod that, such an officer who was permitted by the President to take up a particular form of employment under any Government outside India during his|her leave preparatory to retirement shall not be required to obtain subsequent permission for his|her continuance in such employment after retirement.

Explanation.—For the purpose of this regulation, the expression "employment under any Government outside India" includes employment under a local authority or corporation or any other institution or organisation which functions under the supervision or control of a Government outside India, "or an organisation of which Government of India is not a member." In this connection it may be added that permission will not be granted for acceptance of employment under a foreign Mission India before the expiry of at least 3 years from the date an officer ceases to be in the Naval service."

(iv) Regulations 75, 195, 196 and 197 shall be omitted.

(v) In Part II, after chapter IV the following Chapter shall be inserted, namely :—

CHAPTER IV-A

Suspension, Discontinuance, or Withholding of Pension Procedure in rospect of

"200-B.—Suspension, discontinuance or withholding of pension of a pensioner who is convicted of a crime by Court of Law or is guilty of grave misconduct not of a political nature.—If a pensioner is convicted of a crime by court of law or is guilty of grave misconduct, which is not of a political nature, the following procedure shall bo followed :—

(a) If a pensioner is sentenced to imprisonment for a criminal offence, his pension shall be suspended from the date of his imprisonment and the case reported by the Costroller of Defence Accounts (Pensions), Allahabad for the order of the competent authority. In a case where a pensioner is kept in police or jail custody as an under-trial prisoner and is eventually sehtenced to a term of imprisonment for a criminal offence, the suspension of pension shall take effect from the date of imprisonment only.

(b) The competent authority shall decide in consultation with the Controller of Defence Accounts (Pensions) and if necessary, with the civil authorities also, whether the offence is a serious one and if so, he shall order the removal of the prisoner's name from pension list, from the date of the commencement of his imprisonment. Pension there upon shall cease to be payable from that date.

(c) If the competent authority decides that the offence is not so serious as to justify the removal of the pensioner's name from the pension list, it shall not be removed; the payment of arrears of pension due from the date of last payment before imprisonment shall be made on release from prison.

(d) If a pensioner is sentenced to imprisonment for a criminal offence by a lower court but is acquitted, on appeal, by a higher court, the pension withheld shall be restored.

(e) If a pensioner is imprisoned for debt, pension shall continue to be paid.

(f) If a pensioner is guilty of grave misconduct not falling under the precoding clauses, it shall at once be reported to the competent authority who may, if he considers it justifiable, order the suspension of his pension from a date to be specified. The competent authority shall subsequently investigate the case in consultation with the Controller of Defence Accounts (Pensions) and if necessary the civil authorities, and

(i) either authorise the withholding of pension in whole or in part from a date to be specified by him not earlier than the date of original suspension; or

(ii) authorise continuance in full.

(g) If a pensioner is convicted by a foreign court (including Nepal) or is imprisoned in a jail outside India for a serious crime of a non-political nature, his case will be referred to the Government of India through the Controller of Defence Accounts (Pensions) for a decision on the question of reduction|forfeiture or restoration of pension. Clause (a) above will apply in these cases also.

(h) Where an individual pensioner is convicted to a serious crime by a court of law, action to withhold or withdraw gratuity and pension or a part thereof shall be taken by the competent authority in the light of the judgement of the court and other provisions of this Chapter."

"200-C.—Suspension, discontinuance or withholding of pension of a pensioner who is convicted of a crime by a Court in India or is guilty of a misconduct of a political nature.—If a pensioner is convicted of crime by a court in India or is guilty of misconduct of a political nature his case shall bo reported by the Controller of Defence Accounts (Pensions) to the competent authority, who on the recommendation of the State Government or Administration concerned may order he withholding of his pension (service and disability pensions, family pension drawn by adult males only, and children allowance) from a date to be specified. In cases where the pensioner is sentenced to imprisonment, his pension shall, pending the orders of the competent authority, be suspended from the date of his imprisonment.

If a pensioner is convicted by a foreign court or is imprisoned in a jail outside India for a crime of a political nature by a friendly foreign country, his case for reduction| forfeiture or restoration of pension as well as the question of payment of pension for the period of imprisonment, will be decided by the Indian High Commissioner or Ambassador to that country in consultation with the foreign Government concerned."

200-D-Restoration of Pension withehld.—A pension withheld in whole or in part may be restored in full or in part by the competent authority in consultation with the State

Government or Administration concered in political cases and with the Controller of Defence Accounts (Pensions) and the civil authorities if necessary, in other cases. In the case of a pensioner undergoing imprisonment, any action under this Regulation shall only be taken on his application after release but in no case, shall pension be sanctioned for the period of imprisonment in jail for a serious crime.'

200-E. Suspension, discontinuance or withholding of pension of a pensioner. (1) Before passing orders under these regulations regarding suspension, discontinuance or withholding of the whole or part of pension (including commuted value thereof which has not been paid) children allowance or gratuity (including Death-cum-retirement Gratuity), the competent authority shall serve upon the individual pensioner, a notice specifying the action proposed to be taken and calling upon his|her to submit within thirty days of the receipt of the notice (or such further time not exceeding thirty days as may be allowed by the competent authority) such represenations as he|she may wish to make against the proposal.

(2) The competent authority shall, after considering the representation if any made by the pensioners under sub-regulation (1) decide and issue orders in writing to suspend, discontinue or withhold the whole of pension, children's allowance and gratuity or part thereof, indicating whether the orders in the case of pension and children allowance will apply permanently or only for a specified period.

(3) An appeal against the decision of the competent authority in cases falling under regulation 8 can be made to the Appellate authority. Appellate authority shall be the President in the case of the commissioned officers. In the case of sailors, the appeal shall lie to the Flag Officer Commanding-in-Chief of the Naval Command or the Flag Officer Commanding of the Naval Area concerned. The appeal will be made through the Captain Bureau of Sailors, BOMBAY.

(4) In the case of personnel below the officer's rank the competent Authority|Appellate Authority will consult the Controller of Defence Accounts (Pensions) while passing the final orders. In the event of difference of opinion between these authorities and the Controller of Defence Accounts (Pensions) the matter will be referred to the Government of India for orders."

(vi) In Appendix I, under the heading "SAILORS", for items 21 to 23, the following items shall bo substituted, namely :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 200B | Sailors and their families. | Captain Bureau of Sailors. | |
| 22 | 200C | Sailors and their families. | Captain Bureau of Sailors. | |
| 23 | 200D | Sailors and their families. | Captain Bureau of Sailors. | |
| 23A | 200E | Sailors: | | |
| | | A. In cases covered by section 5A,— | | |
| | | (i) in the case of MCPOs I & II (including those granted Honorary commission as ICOs while on the effective list); | Chief of the Naval Staff. | |
| | | (ii) in the case of CPOs, PO, LS, Sea I & II; | Commanding Officer of the Ship/Establishment : provided he is not below the rank of Commander. | |
| | | (iii) in other cases. | Captain Bureau of Sailors, BOMBAY. | |
| | | B. In cases covered by regulation 8. | Captain Bureau of Sailors, BOMBAY. | |

[NHQ file No. PN/2244/X
M of F (D) u.o. 1218/Pan of 1980]
M. N. DAS, Dy. Secy. (Pensions)

नई दिल्ली, 31 मई, 1982

**का० नि० आ० 140**— छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लै० कॅ० एन० के चौधरी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड लखनऊ में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है ।

[फाइल संख्या 19/1/सी/एलएण्ड सी/78/3416/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 31st May, 1982

**S.R.O. 140.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Lucknow by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. N. K. Chaudhury.

[F. No. 19/1/C/L&C/78/3416-C/D(Q&C)]

**का० नि० आ० 141**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा मेजर के० बी० शर्मा को छावनी बोर्ड लखनऊ का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन लै० कॅ० एन० के० चौधरी के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ।

[फाइल संख्या 19/1/सी/एल एण्ड सी/78/3416/1/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

**S.R.O. 141.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major K. B. Sharma has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Lucknow vice Lt. Col. N. K Chaudhury who has resigned

[F. No. 19/1/C/L&C/78/3416/1-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 142—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मेजर रघुवीर सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड झांसी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है ।

[फाइल संख्या 19/40/सी/एल०एण्ड०सी/65/3111/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

**S.R.O. 142.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Jhansi by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major Raghubir Singh.

[F. No. 19/40/C/L&C/66/3414-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 113—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 का उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा मेजर डी० एस० सोलंकी को छावनी बोर्ड झांसी का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर रघुवीर सिंह के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ।

[फाइल संख्या 19/40/सी/एल०एण्ड०सी०/65/3411/सी/डी/(क्यू एण्ड सी)]

**S.R.O. 143.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major D. S. Solanki has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Jhansi vice Major Raghubir Singh who has resigned.

[F. No. 19/40/C/L&C/66/3414-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 144—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मेजर जे० एस० बरार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड मुरार में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है ।

[फाइल संख्या 19/56/सी/एल०एण्ड०सी०/68/3417/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

**S.R.O. 144.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Morar by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major Z. S. Brar.

[F. No. 19/56/C/L&C/68/3417-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 145—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा मेजर जे० एस० आहलूवालिया को छावनी बोर्ड मुरार का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर जे० एस० बरार के स्थान पर किया गया है । जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ।

[फाइल संख्या 19/56/सी/एल०एण्ड०सी०/68/3417/1/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

**S.R.O. 145.**—In pursuance of subsection (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major J. S. Ahluwalia has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Morar vice Major Z. S. Brar who has resigned.

[F. No. 19/56/C/L&C/68/3417/1-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 146—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मेजर गुरमीत सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड वाराणसी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है ।

[फाइल संख्या 19/57/सी/एल०एण्ड०सी०/68/3420/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

**S.R.O. 146.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Varanasi by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major Gurmit Singh.

[F. No. 19/57/C/L&C/68/3420-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 147—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा मेजर योगेन्द्र सिंह को छावनी बोर्ड वाराणसी का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर गुरमीत सिंह के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ।

[फाइल संख्या 19/57/सी/एल०एण्ड०सी/68/3420/1/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

**S.R.O. 147.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major Yogendra Singh has been nominated by the Officer Commanding the Station, as a member of Cantonment Board Varanasi vice Major Gurmit Singh who has resigned.

[F. No. 19/57/C/L&C/68/3420/1-C/D(Q&C)]

नई दिल्ली, 1 जून 1982

का० नि० आ० 148—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक है, एतद्द्वारा दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्यों की पदावधि 15 दिसम्बर, 1982 तक या उनके पद उत्तराधिकारी के, शासकीय राजपत्र में, निर्वाचन अधिसूचना की तारीख तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाती है ।

[फाइल नं० 29/13/सी०/एल०एण्ड-सी०/76/3476/सी/डी/(क्यू०एण्डसी०)]

New Delhi, the 1st May, 1982

**S.R.O. 148.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (1) of section 15 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government being satisfied that it is necessary in order to avoid administrative difficulty hereby extends the term of office of all the elected members of Delhi Cantonment Board up to 15th December, 1982, or the date of notification of elections of their successors in office in the official Gazette, whichever is earlier.

[F. No. 29/13/C/L&C/76/3476/C-D(Q&C)]

का० नि० आ० 149.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक है, एतद्द्वारा मथुरा छावनी बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्यों की पदावधि 15 दिसम्बर, 1982 तक या उनके पद उत्तराधिकारी के, शासकीय राजपत्र में, निर्वाचन अधिसूचना की तारीख तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाती है ।

[फाइल सं०/29/55/सी०/एल०एण्ड-सी०/60/3475/सी०-डी०/(क्यू०एण्डसी०)]

**SR.O. 149.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (1) of section 15 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government being satisfied that it is necessary in order to avoid administrative

lifficulty hereby extends the term of office of all the elected members of Mathura Cantonment Board up to 15th December, 1982, or the date of notification of elections of their successors in office in the official Gazette, whichever is, earlier.

[F. No. 29/55/C /L&C|66|3475|C-D(Q&C)]

नई दिल्ली, 2 जून, 1982

**का० नि० आ० 150.**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मेजर राजेन्द्र कुमार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड सागर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है ।

[फाइल संख्या 19/6/सी/एल०एण्ड०सी/65/3535/सी०-डी/(क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 2nd June, 1982

**S.R.O. 150.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Saugor by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major Rajinder Kumar.

[File No. 19|6|C|L&C|65|3535-C|D (Q&C)]

**का० नि० आ० 151.**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा मेजर ए० के० सिंह को छावनी बोर्ड सागर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर राजेन्द्र कुमार के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ।

[फाइल संख्या 19/6/सी/एल०एण्ड०सी/65/3535/1/सी/डी(क्यू एण्ड सी)]

रामनाथ, अवर सचिव

**S.R.O. 151.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major A. K. Singh has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Saugor vice Major Rajinder Kumar who has resigned.

[File No. 19|6|C|L&C|65|3535|1-C|D (Q&C)]

RAM NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जून, 1982

**का० नि० आ० 152.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एयर आफीसर कमांडिंग इन-चीफ (भारतीय वायु सेना) का वैयक्तिक सहायक भर्ती नियम, 1969 की उन बातों के सिवाए, अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने में लोप किया गया है भारतीय वायु सेना में आशुलिपिक श्रेणी-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायु सेना (आशुलिपिक श्रेणी-1) भर्ती नियम, 1982 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका/उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है ।

4 निरर्हताएं . वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5 शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6क | 7 | |
| आशुलिपिक श्रेणी 1 | 16* | रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ख' लिपिकवर्गीय, अनौद्योगिक अराजपत्रित<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | 550-25-750-ई०रो०-30-900 रुपए | अचयन | लागू नहीं होता | नहीं | लागू नहीं होता | |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होगा | 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा | प्रोन्नति<br>ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 2 जिन्होंने उस श्रेणी 2 पांच वर्ष नियमित सेवा की है।<br>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन—<br>(i) ऐसे अधिकारी जो सहायक पद धारण करते हैं; या<br>(ii) 425-700 रु० या समतुल्य वेतनमान में ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है (प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) | समूह 'ख'<br>विभागीय प्रोन्नति समिति<br>(i) संयुक्त सचिव (वायु) रक्षा मंत्रालय—अध्यक्ष<br>(ii) उप सचिव (स्थापना) रक्षा मंत्रालय—सदस्य<br>(iii) एयर आफिसर भारसाधक कार्मिक/कार्मिक निदेशक (वायुसेनिक) वायु सेना मुख्यालय —सदस्य | इस पद पर भर्ती करते समय आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं० एमए एच क्यू/23049/9/31/पीसी 3 (ए)]
म० जुनेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd June, 1982

**S.R.O. 152.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President in supersession of the Personal Assistant to Air Officer Commanding-in-Chief (Indian Air Force) Recruitment Rules, 1969, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographers grade I in the Indian Air Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Air Force (Stenographer grade I) Recruitment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification—No Person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :—

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with regard to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect, reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | No. of post | Classification | Scale of Pay | Whether selection post or Non-selection post | Age limit for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules 1972 | Educational and other qualification for direct recruit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6(a) | 7 |
| Stenographer Grade I. | 16* *subject to variation dependent on work-load. | Civilian in Defence Services Group 'B' Ministerial Non-Industrial Non-Gazetted. | Rs. 550-25-750-EB-30-900. | Non-Selection. | Not applicable. | No | Not applicable. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion transfer grades from which promotion transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 2 years. | By promotion failing which by transfer on deputation. | Promotion:<br>Stenographer Grade II with 5 years regular service in the grade.<br>Transfer on deputation:<br>Officers under the Central Government.<br>(i) holding analogous posts: or<br>(ii) Stenographers in the scale of Rs. 425-700 or equivalent with 5 years service in the grade (Period of deputation shall not exceed 3 years). | Group 'B' Departmental Promotion Committee:<br>(i) Joint Secretary(Air) Ministry of Defence —Chairman.<br>(ii) Deputy Secretary (Establishment) Ministry of Defence —Member.<br>(iii) Air Officer Incharge Personnel Director of Personnel (Airmen) Air Headquarters—Member. | Consultation with the Commission not necessary while making recruitment to this post. |

[File No. Air HQ/23049/9/31/PC3(A)]
M.C. JUNEJA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982